(2)

उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय
इलाहाबाद

पत्रांकः 797–ई/पालिसी/2018 **RBE: 62/2018**

दिनांकः .06..2018 **NCRPS No. 5211/2018**

समस्त विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि.उप महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक/सा. मु.प्रशा.अधि/नि
मंडल रेल प्रबन्धक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा एवं झाँसी।
मुख्य कारखाना प्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगन रिपेयर शाप, झाँसी।
मुख्य कारखाना प्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।
चेयरमैन/आरआरसी/उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद।
उप मुख्य सामाग्री प्रबन्धक/झाँसी, उप मु.अभि/सीपीओएच/इला., उप मु.अभि./सीएसपी/इला.
प्रिन्सिपल – सुपरवाईजरस ट्रेनिंग सेन्टर, झाँसी, सिविल ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, इण्डिया रेलवे ट्रैक मषीन ट्रेनिंग सेन्टर, इला., एरिया ट्रेनिंग सेन्टर, झाँसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको, झाँसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, सी एण्ड डब्लू/झाँसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कषाप,झाँसी, सी एण्ड डब्लू ट्रेनिंग सेन्टर,कानपुर, परमानेन्ट वे ट्रेनिंग सेन्टर,झाँसी, ट्रान्सपोर्टेषन,ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगजं,इला., इलेक्ट्रिक, ट्रेनिंग सेन्टर/टीआरडी/झाँसी, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर,कानपुर, मु.प्रा.अधि/ आईआरपीएमयू/नई दिल्ली
उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाईन/इला./झाँसी एवं आगरा, एक्स ई एन/ब्रिज/लाईन/झाँसी।
व.स.वि.स/कैश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।

Subject: Ayurvedic/Homeopathic dispensaries under Staff Benefit Fund (SBF).

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(W)2016/ISM/9 दिनांक 01/05/2018 की प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः यथोक्त।

(V.P.Singh)
For General Manager/P

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. कार्यालय अधीक्षक,उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मुख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
4. सीपीआई– एससी–एसटी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर ई एस
6. महामंत्री, एन सी आर एम यू
7. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए
8. महामंत्री एस सी/एस टी एशोसियेशन
9. महामंत्री ओबीसी एशोसियेशन

RBE No. 64/2018

GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय
RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड

No. E(W)2016/ISM/9

New Delhi, dated 01-05-2018

The General Managers(P),
All Indian Railways &
Production Units.

Sub: Ayurvedic/Homeopathic dispensaries under Staff Benefit Fund (SBF)
Ref: This Ministry's letter of even number dated 07.07.2017.

Please refer to Railway Board's letter of even number dated 07.07.2017 enhancing the monthly honorarium for Ayurvedic/Homeopathic Consultants and monthly subsidy on medicines on the Ayurvedic/Homeopathic dispensaries being run by the Staff Benefit Fund Committees.

2. In continuation of these instructions, sanction of the Ministry of Railways is hereby communicated for revision of monthly honorarium for Ayurvedic/Homeopathic dispensers as per following:-

8 hours duration	Rs. 11,250/-
4 hours duration	Rs.7,500/-

3. Annual allotment for "Indigenous System of Medicine" under SBF (under which Homeopathic and Ayurvedic dispensaries function) at Rs.36 per capita, if found inadequate to meet the increase in requirement of funds on account of the above revision in the honorarium, the additional expenditure (necessitated due to revision) under these orders would also be met through re-appropriation from the head "Medical Services" as additional ad hoc contribution to the SBF, and, accordingly, the Medical Budget would be suitably augmented from Revenues. Hence PCPOs would advise CMDs about the additional funds required on this account so that the same could be reflected in the budgetary estimates.

4. The aforesaid revision will take effect from 07.07.2017.

5. This issues in consultation with the Health Directorate and with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railway.

(ALOK KUMAR)
Executive Director Estt. (IR)
Railway Board.

प्र० मुकाधि०	
मुकाधि० (प्रशा०)	
मुकाधि० (आई० आर०)	
उप मुकाधि० (वित्त)	
उप मुकाधि० (मुख्या०)	
उप मुकाधि० (आई०आर०)	
अध्यक्ष/रे०भ०प्र०	
प्र० का० अधि० (राज)	
प्र० का० अधि० (औ०सं०)	
प्र०का० अधि० (मुख्या०)	
सकाधि० (आई०आर०)	
सकाधि० (भर्ती०)	
मु० कार्या० अधी०/कार्या० अधी०	

आरबीई सं. 62 /2018

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

01/05/2018

सं.ई(डब्ल्यू) 2016/आईएसएम/9 नई दिल्ली, दिनांक: 01 .05.2018

महाप्रबंधक (पी)
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।

विषय: कर्मचारी हित निधि (एसबीएफ) के अंतर्गत आयुर्वेदिक/होम्योपेथिक औषधालय।

संदर्भ: इस मंत्रालय का दिनांक 07.07.2017 का समसंख्यक पत्र।

कृपया रेलवे बोर्ड के दिनांक 07.07.2017 के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें, जो कर्मचारी हित निधि समितियों द्वारा चलाए जा रहे आयुर्वेदिक/होम्योपेथिक औषधालयों में आयुर्वेदिक/होम्योपेथिक परामर्शदाताओं के लिए मासिक मानदेय और दवाइयों पर मासिक सब्सिडी बढ़ाने के बारे में है।

2. इन अनुदेशों के क्रम में, आयुर्वेदिक/होम्योपेथिक औषधालयों के लिए मासिक मानदेय को निम्नानुसार संशोधित करने के लिए एतदद्वारा रेल मंत्रालय की स्वीकृति संसूचित की जाती है:-

8 घंटे अवधि 11,250/- रुपए

4 घंटे अवधि 7,500/- रुपए

3. कर्मचारी हित निधि के अंतर्गत 'स्वदेशी औषधि प्रणाली' (जिसके तहत होम्योपेथिक और आयुर्वेदिक औषधालय कार्य करते हैं) के लिए 36 रुपए प्रति व्यक्ति के वार्षिक आबंटन, यदि मानदेय में उक्त संशोधन होने के कारण निधि की आवश्यकता में बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए अपर्याप्त पाया गया है, को इन आदेशों के तहत अतिरिक्त व्यय (जो संशोधन के कारण आवश्यक है) को भी 'चिकित्सा सेवाएं' शीर्ष से पुनर्विनियोग के जरिए पूरा किया जाना है क्योंकि कर्मचारी हित निधि के लिए अतिरिक्त तदर्थ योगदान और तदनुसार चिकित्सा बजट को राजस्व से यथोचित ढंग से बढ़ाया जाएगा। अत:, पीसीपीओ इसके परिणामस्वरूप अपेक्षित अतिरिक्त निधि के बारे में सीएमडी को सूचित करेंगे ताकि इस राशि को बजटीय अनुमानों में दिखाया जा सके।

4. उक्त संशोधन 07.07.2017 से प्रभावी होंगे।

5. इसे रेल मंत्रालय के स्वास्थ्य निदेशालय के परामर्श से और वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

1/5/18

(आलोक कुमार)
कार्यपालक निदेशक स्थापना (औ.सं.)
रेलवे बोर्ड